



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

आधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

अग्रहाण 1, गुरुवार, शाके 1929--नवम्बर 22, 2007

Agrahana 1, Thursday, Saka 1929--November 22, 2007

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आचार्य ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (घृप-3) विभाग

अधिसूचनाएं

जयपुर, नवम्बर 19, 2007

संख्या प. 23(2) चि. एवं स्वा.3/2003 पार्ट:-गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 16 ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के गठन हेतु पूर्व में विभाग द्वारा जारी समसंबन्धक अधिसूचना दिनांक 1-7-2003 में क्रम संख्या 8 से 16 पर उल्लेखित सदस्यों का निम्नानुसार मनोनयन करती है:-

1. श्रीमती अनिता मदेल, सदस्य, राजस्थान विधान सभा ।
2. श्रीमती लक्ष्मी बारूवाल, सदस्य, राजस्थान विधान सभा ।
3. श्रीमती प्रतिभा सिंह, सदस्य, राजस्थान विधान सभा ।
4. डॉ. एन. के. वज, एसोसियेटेड प्रोफेसर (सेवा निवृत्त) समाज शास्त्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
5. श्री दीपक भादुरी, प्रतिरिक्त निदेशक, वादकरण विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. श्रीमती शील धामाई, पूर्व महुापुर, जयपुर ।
7. श्रीमती साती हेम्वारी, लघुमन बेलेफेरे एण्ड रिसेर्च फाउण्डेशन, 160 कृष्णा नगर, जयपुर ।
8. डॉ. आदर्श भागव, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, स्त्री रोग विभाग, जगन्नाथ अस्पताल, जयपुर ।
9. डॉ. उषा शर्मा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, स्त्री रोग विभाग, मेडिकल कॉलेज, जयपुर ।
10. डॉ. उषा आचार्य, आचार्य एवं इकाई प्रभारी, शिशु रोग विभाग, जे. के. लॉन हॉस्पिटल, जयपुर ।
11. डॉ. सुषमा शर्मा, आचार्य, संयोजकी विभाग, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर ।
12. डॉ. जल सिंह, रेडियोलोजिस्ट, निदेशक (सेवा निवृत्त) एम. एच. यू. जयपुर ।
13. डॉ. माला उदावत, आचार्य, रेडियोलोजिस्ट, जे. के. लॉन हॉस्पिटल, जयपुर ।

नोट :-उक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्ष का होगा ।

जयपुर, नवम्बर 19, 2007

संख्या प. 23(2) चि. एवं स्वा. 3/2003 पार्ट:-गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा, राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए निम्नलिखित समुचित प्राधिकारी हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक प.23(2)चि.स्वा./3/2003 पार्ट दिनांक 1-7-03 में क्रम संख्या 3 के लिये समसंबन्धक अधिसूचना दिनांक 02-12-2006 से मनोनीत श्री श्रीनिवास शर्मा, डी.एल.आर. (एल), विधि विभाग, भवन, राजस्थान, जयपुर के स्थान पर श्री वृज केशोर गुप्ता, डी.एल.आर. (एल), विधि विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को मनोनीत करती है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
डी. एन. पाण्डे,  
उप शासन सचिव ।

627

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।